जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा / उपा / जोन–5 / 2024 / डी–279 दिनांकः–8.2.24

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	147350	श्री निर्भय सिंह नारंग व श्री निरवेर सिंह नारंग पुत्रान् श्री जितेन्द्र सिंह नारंग	श्रीमती संतोष कुमार पत्नी श्री मदन सिंह	76	421.00	न्यू पिंकसिटी	धर्मपार्क	फ्री होल्ड पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
2.	152079	श्री घनश्याम सिंह यादव एवं श्री ब्रह्मा पुत्रान् श्री बाबू लाल	श्री सीताराम सैनी पुत्र श्री चन्दा लाल सैनी	61 (उ. भा.)	208.33	श्री महाराजा	प्रेम नगर–I	फ्री होल्ड पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
3.	159150	श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह राठौड़	श्रीमती सूरज देवी पत्नी श्री शांति कुमार जैन	659 / 660	333.33	लंकापुरी	शांति नगर	फ्री होल्ड पट्टा विलेख	अपंजीकृत इकरार नामा एवं सूची में नाम की भिन्नता
4.	149180	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री गौरी शंकर शर्मा	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री गौरी शंकर शर्मा	100	333.33	श्री महाराजा	प्रेम नगर–I	फ्री होल्ड पट्टा विलेख	मूल दस्तावेज खोने बाबत

उपायुक्त जोन–5

प्रतिलिपिः–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन–5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250}: फैक्स - +91-141-2574555

Scanned with OKEN Scanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः जविप्रा/जोन–9/2024/डी– 5057 दिनांकः– 2/2/24

सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :–

क्रं. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. मे	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	ए–14ए	338.33 व.ग.	कुसुम विहार (पटेल नगर गृ.नि.स. समिति)	श्रीमती पायल सुबनानी पत्नी श्री सुरेन्द्र शिवनानी	श्रीमती ईश्वरी भारवानी पत्नी स्व. श्री भगवान दास	मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपिः–जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–9
जविप्रा, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन–4/2024/डी– 371 दिनांक 7-02-2024

विज्ञप्ति

श्री राहुल जैन पुत्र स्व. श्री पारस चन्द जैन निवासीः–टी–42–43, सांघी फार्म, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर को सूचित किया जाता है कि दी कृष्णा कॉ–ऑपरेटिव की योजना टी–1 के भूखण्ड संख्या टी–42–43 की लीजडीड क्रमांक 3317 दिनांक 10.08.2023 क्षेत्रफल 363.82 वर्गगज की लीजडीड आपके नाम से जारी की गई थी।

उक्त भूखण्ड के संबंध में श्रीमती रिंकू जैन पत्नी श्री नवीन भण्डारी पुत्री स्व. श्री पारस चन्द जैन निवासीः–प्लॉट नं.–बी–9, बुद्ध विहार, बुद्धसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर ने प्रार्थन पत्र प्रस्तुत करते हुये फर्जी वसीयत पेश कर षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी व जालसाजी द्वारा जेडीए से प्राप्त पट्‌टे को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आपको नोटिस जारी कर व्यक्तिशः उपस्थित होने बाबत् क्रमांक डी–13 दिनांक 03.01.2024 एवं डी–155 दिनांक 25.01.2024 के द्वारा सूचित किया गया था कि अपना स्पष्टीकरण/प्रत्युत्तर/साक्ष्य/अन्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित नहीं हुये।

आप द्वारा अपलोड शपथ पत्र दिनांक 26.05.2023 को इस आशय का झुठा शपथ पत्र जिस पर अंकित किया गया है कि उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का वाद विवाद किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है जबकि माननीय अपर जिला सैशन न्यायाधीश क्रम संख्या 3 जयपुर महानगर प्रथम में दिनांक 23.01.2023 को उक्त भूखण्ड के संबंध में वाद लम्बित था एवं उक्त भूखण्ड पर माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महानगर प्रथम के आदेश के द्वारा दिनांक 20.05.2023 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया था।

उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा में माननीय न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया था कि प्रस्तुत वाद सम्पत्ति विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुये जवाब पेश होने तक उभय पक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त सम्पत्ति की आज की यथास्थिति बनाये रखें।

आप द्वारा वाद लम्बित रहते हुये एवं तथ्यों को छुपाते हुये झुठा शपथ पत्र एवं माननीय न्यायालय के आदेश को छुपाते हुये लीजडीड दिनांक 24.07.2023 एवं 10.08.203 को जारी करवाई है।

जविप्रा अधिनियम 1982 में संशोधन गजट नोटिफिकेशन दिनांकः 15.04.2021 के अध्याय 4 अनुसार "जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 में संशोधन राजस्थान अधिनियम संख्या 25 में नई धारा–54 घ (3) में उल्लेख किया गया है कि पट्‌टा तथ्यों की दुर्व्यपदेशन द्वारा और दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि करके या विधि का उल्लंघन करके प्राप्त किया गया है, तो प्राधिकरण भूमि के आवंटन के प्रतिसंहरण और पट्‌टा विलेख के रद्‌दकरण का आदेश दे सकेगा।"

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि जारी विज्ञप्ति होने से 7 दिवस में कार्यालय में अपना स्पष्टीकरण/प्रत्युत्तर/साक्ष्य/अन्य दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवें अन्यथा पूर्व में जारी की लीजडीड क्रमांक 3317 दिनांक 10.08.2023 क्षेत्रफल 363.82 वर्गगज निरस्त करने सहित अन्य विधि अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांकः 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन–4
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर– 302004

दूरभाष - 0141–2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल :dc.zone04@jaipurjda.org

Scanned with OKEN Scanner

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन–14/2024/डी–310 दिनांक 08/02/2024

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा निम्नांकित भूखण्डों के पट्टे/नाम हस्तान्तरण/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है :–

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री अतुल श्रीवास्तव पुत्र श्री श्यामबाबू श्रीवास्तव	श्री उदय सिंह पुत्र श्री अमर सिंह	A-298	30.40 व. मी.	जविप्रा	बक्सावाला	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	स्वघोषणा पत्र, एफ.आई. आर, शपथ पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा, बिलजी का बिल, पहचान पत्र।
2	श्रीमती रेनू देवी पत्नी श्री अशोक कुमार	श्रीमती संतोष पत्नी श्री महबूब खां	G-6	36.00 व. मी.	जविप्रा	बक्सावाला	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	स्वघोषणा पत्र, आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा, बिलजी का बिल, पहचान पत्र।
3	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव पत्नी श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव	कुमारी सुधा शर्मा पुत्री श्री रामनिवास शर्मा	B-14	30.40 व. मी.	जविप्रा	बक्सावाला	फ्री होल्ड पट्टा हेतु	स्वघोषणा पत्र, आवंटन पत्र, मुख्तयारनाम आम, पंजीकृत विक्रय पत्र, पहचान पत्र।
4	श्री नवीन अडवानी व हितेश अडवानी पुत्रान् स्व. श्री ईश्वर अडवानी	दी च्वाईस प्रोपराईटर ईश्वर आडवानी पुत्र श्री मूलचन्द आडवानी	ख.नं. 2, 3, 4, 6, 7/104, 8/102, 9	9005.25 व.मी.	निजी खातेदारी	ग्राम सुखदेवपुरा उर्फ नाटाणीवाला, तह. सांगानेर	नाम हस्तान्तरण हेतु	स्वघोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र, पंजीकृत वसीयत नामा, बिजली का बिल, पहचान पत्र।

उक्त भूखण्डों का आवेदकों के पक्ष में पट्टा/ नाम हस्तान्तरण जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:–

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन–14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त (जोन–14)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान–302004
दूरभाष – Direct Line-0141-2576296(O), EPBX- 0141-2569696 ,Ext: 8380, Fax- 0141-2574555, email : dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

Scanned with OKEN Scanner